



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 269 राँची, बुधवार,

18 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

2 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-345/2014 का०-3219--श्री कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-110/20) के विरुद्ध श्री लालजी राम तियु, पश्चिमी सिंहभूम झारखण्ड द्वारा परिवार-पत्र समर्पित किया गया, जिसमें आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री नाग द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर अनसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी में मुण्डा जाति का प्रमाण पत्र बनाकर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय असेैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्त प्राप्त कर ली गयी है। वे तमाड़िया जाति के सदस्य हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है, किन्तु उनके द्वारा मुण्डा जाति का प्रमाण पत्र बना कर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त की गई है ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3310, दिनांक-17.04.2013 द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जिस पर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक 80(ए)/ स्था० दिनांक 17.06.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् है -

(i) श्री कानु राम नाग की जाति तमाड़िया है एवं विभागीय पत्रांक-1816 दिनांक 31.10.2010 के अनुसार तमाड़िया जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है एवं सूची के क्रमांक 34 पर अंकित है।

(ii) अंचल अधिकारी, खूँटपानी, अंचल निरीक्षक एवं स्थानीय ग्रामीण मुण्डा के अनुसार श्री नाग के परिवार का ग्राम-दोपायी के खाता संख्या-129 के भू-भाग में स्वामित्व है तथा खतियान में जाति तमाड़िया उल्लिखित है।

3. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०- 6273 दिनांक 14.07.2015 द्वारा श्री नाग को निलम्बित करते हुए विभागीय स्तर से उनके विरुद्ध प्रपत्र- 'क' गठित किया गया, जिसमें निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किये गये-

“श्री कानुराम नाग, झा०प्र०से०, सम्प्रति-निलम्बित द्वारा फर्जी अभिलेख के आधार पर अनुसूचित जनजाति अंतर्गत मुण्डा जाति (आरक्षित श्रेणी) का प्रमाण पत्र बनवाकर 2nd J.P.S.C. परीक्षा के आधार पर गलत ढंग से झा०प्र०से० में नियुक्ति प्राप्त की गई है।”

4. श्री नाग के विरुद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-7110, दिनांक 07.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त निलम्बन आदेश एवं संचालित विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध श्री नाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका संख्या डब्ल्यू०पी०(एस०) सं०-3400/2015 दायर किया गया, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2015 को पारित अन्तरिम आदेश का ऑपरेटिव पार्ट निम्नवत है-

“In such circumstances the respondents should wait for the opinion of the Caste Scrutiny Committee and departmental proceeding initiated against the petitioner should be kept in abeyance.

5. मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-9455, दिनांक 29.10.2015 द्वारा श्री नाग के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को स्थगित करते हुए विभागीय पत्रांक-9454, दिनांक 29.10.2015 द्वारा जाति छानबीन समिति से श्री नाग की जाति जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

6. जाति छानबीन समिति का प्रतिवेदन कल्याण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-714 दिनांक 02.03.2016 से प्राप्त हुआ, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि श्री नाग का जाति प्रमाण पत्र की जाँच छानबीन समिति द्वारा की गई है एवं दिनांक 16.02.2016 को आहूत समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि तमाड़िया को मुण्डा के उपजाति के रूप में होने का प्रमाण है। अतः श्री कानु राम नाग तमाड़िया जाति के सदस्य होने के नाते मुण्डा जनजाति के उपजाति होने का अर्हता रखते हैं। प्रतिवेदन के आलोक में श्री नाग को विभागीय आदेश सं०-2699 दिनांक 29.03.2016 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

7. तत्पश्चात् विषयगत मामले की पुनः समीक्षा की गई। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि मुण्डा की अनेक उपजातियों में से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के अंतर्गत मुण्डा एवं महली क्रमांक-24 एवं 22 पर अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है तथा वर्ष 2003 में मुण्डा के बाद पातर को सम्मिलित किया गया है। मुण्डा की अन्य उपजातियाँ, जो सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, वह संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं हैं।

8. समीक्षोपरांत, श्री नाग को प्राप्त अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच जाति छानबीन समिति से कराने का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक-12462, दिनांक 20.12.2017 द्वारा जाति छानबीन समिति से श्री नाग द्वारा समर्पित अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र इनकी नियुक्ति वर्ष में वैध है अथवा नहीं, के संबंध में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

9. उक्त के आलोक में आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के पत्रांक-469 दिनांक 16.03.2018 द्वारा प्रतिवेदित की गई कि चूँकि छानबीन समिति द्वारा श्री नाग की जाति के संबंध में दिनांक 05.03.2016 को ही आदेश पारित किया जा चुका है एवं जाति छानबीन समिति को पुनर्विचार की शक्ति नहीं है।

10. श्री नाग द्वारा दिनांक 06.05.2022 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा निलंबन अवधि की सेवा विनियमन के साथ सेवा सम्पुष्टि का अनुरोध किया गया है तथा संबंधित मामले में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में दायर वाद सं०-W.P(S) No. 2802/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न की गयी, जिसमें श्री नाग के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश प्राप्ति के आठ सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

11. इसी बीच, माननीय न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 2802/2022 में दिनांक 02.02.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री नाग द्वारा मा० न्यायालय में अवमाननावाद सं०-343/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 06.10.2023 को पारित न्यायादेश में अगली निर्धारित तिथि 03.11.2023 के पूर्व W.P.(S) No. 2802/2022 में पारित अंतिम आदेश 'विभागीय कार्यवाही का निष्पादन' अन्यथा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। उक्त अवमाननावाद में दिनांक 03.11.2023 को पारित आदेश में संबंधित मामले को छः सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

12. श्री नाग के विरुद्ध विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-811 दिनांक 24.11.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन में उनके विरुद्ध आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया। जाति छानबीन समिति का मतव्य, विद्वान महाधिवक्त से प्राप्त परामर्श एवं माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन निम्न कारणों से स्वीकार योग्य नहीं है-

(i) श्री नाग की नियुक्ति में उनके द्वारा उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का क्रमांक-1020, दिनांक 14.12.2007 द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति (उप जाति मुण्डा) का है, जबकि उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक-80(ए)/स्था०, दिनांक 17.06.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् है

(a) श्री कानु राम नाग की जाति तमाड़िया है एवं विभागीय पत्रांक-1816 दिनांक 31.10.2010 के अनुसार तमाड़िया जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है एवं सूची के क्रमांक 34 पर अंकित है ।

(b) अंचल अधिकारी, खूँटपानी, अंचल निरीक्षक एवं स्थानीय ग्रामीण मुण्डा के अनुसार श्री नाग के परिवार का ग्राम-दोपायी के खाता संख्या-129 के भू-भाग में स्वामित्व है तथा खतियान में जाति तमाड़िया उल्लिखित है ।

(ii) जाति छानबीन समिति के पत्रांक-714, दिनांक 02.03.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन में भी मात्र यह अंकित है कि तमाड़िया को मुण्डा के उपजाति के रूप में होने का प्रमाण है। अतः श्री कानु राम नाग तमाड़िया जाति के सदस्य होने के नाते मुण्डा जनजाति के उपजाति होने का अर्हता रखते हैं। परंतु उनके जाति प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से वैध करार नहीं किया गया है ।

(iii) मुण्डा की अनेक उपजातियाँ में से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश-1950 के अंतर्गत मुण्डा एवं महली क्रमांक-24 एवं 22 पर अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है तथा वर्ष 2003 में मुण्डा के बाद पातर की सम्मिलित किया गया है। मुण्डा की अन्य उपजातियों, जो सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, वह संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है। तमाड़िया जाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में वर्ष 2022 में अधिसूचित किया गया है ।

(iv) उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन अनुसार श्री नाग द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वे तमाड़िया जाति के हैं। यह जाति मुण्डा जाति की उप जाति है, जो अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित होना चाहिए ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि द्वितीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अधिसूचना प्रकाशन एवं राज्य सरकार में श्री नाग के योगदान तिथि तक तमाड़िया जाति अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है। परन्तु उनके द्वारा फर्जी तरीके से इसे गुण्डा जाति के उप जाति बताकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है ।

13. समीक्षोपरांत, श्री नाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सेवा से हटाये जाने का दण्ड, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

14. उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6522, दिनांक 17.11.2023 द्वारा श्री नाग से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री नाग के पत्रांक-720/निर्वा०, दिनांक 28.11.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

15. श्री नाग द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाया गया है कि श्री नाग द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में अधिकांशतः उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान बचाव बयान में रखा गया है। उनके द्वारा स्वयं उल्लेखित है कि तमडिया/तामडिया उपजाति को 2022 में अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित किया गया है। उनके दादाजी बुधु नाग के नाम से खतियान में जाति तमडिया दर्ज है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी का पत्रांक-285, दिनांक 13.07.1988 तथा इसी के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, चाईबासा के क्रमांक-6, दिनांक 15.05.1995 को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

16. विदित हो कि मुण्डा की अनेक उपजातियों में से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश-1950 के अंतर्गत मुण्डा एवं महली क्रमांक-24 एवं 22 पर अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है वर्ष 2003 में मुण्डा के बाद पातर को सम्मिलित किया गया है। मुण्डा की अन्य उपजातियाँ, जो सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, वह संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है। तमाड़िया जाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में वर्ष 2022 में अधिसूचित किया गया है।

उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन अनुसार श्री नाग द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वे तमाड़िया जाति के हैं। यह जाति मुण्डा जाति की उप जाति है, जो अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित होना चाहिए।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि द्वितीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अधिसूचना प्रकाशन एवं राज्य सरकार में श्री नाग के योगदान तिथि तक तमाड़िया जाति अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है। परन्तु उनके द्वारा फर्जी तरीके से इसे मुण्डा जाति के उप जाति बताकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

17. समीक्षोपरांत, श्री नाग द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सेवा से हटाये जाने का दण्ड, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, अधिरोपित करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-1235, दिनांक 20.02.2024 एवं स्मार पत्रों द्वारा उक्त दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई।

18. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-21.06, दिनांक 14.08.2024 द्वारा उक्त दण्ड अधिरोपण पर सहमति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् उक्त दण्ड पर मंत्रिपरिषद के स्वीकृति उपरांत श्री नाग के विरुद्ध संकल्प सं०-27614(HRMS), दिनांक 04.10.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सेवा से हटाये जाने का दण्ड, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, अधिरोपित किया गया।

19. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री नाग द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया गया है, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-3246, दिनांक 12.12.2024 से विभाग को प्राप्त हुआ।

20. श्री नाग द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन में कोई भी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व में समर्पित तथ्यों को ही प्रस्तुत किया गया है।

21. समीक्षोपरांत, श्री नाग द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या- 27614(HRMS), दिनांक 04.10.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सेवा से हटाये जाने का दण्ड, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 15.05.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री कानु राम नाग, झांप्र०से० (द्वितीय बैच) के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-27614(HRMS), दिनांक 04.10.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सेवा से हटाये जाने का दण्ड जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, को यथावत् रखा जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कानु राम नाग, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
